सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस
दिनांक –23.05.2024

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचनाएवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 02 अभियोगों में 02 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विभिन्न मुकदमों में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम – कोत कालपी में मु0अ0सं0 502/2013 (वाद संख्या– 179/2013) धारा 307/34 भादवि व 7 सीएल एक्ट बनाम 1.शिव कुमार सिंह 2. गोपाली सिंह पुत्रगण जगमोहन सिंह निवासी गण ग्राम लोहरगांव कोत0 कालपी जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण 1.शिव कुमार सिंह 2. गोपाली सिंह उपरोक्त को दोषी पाते हुये 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20,500-20,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय – कोत0 कालपी में मु0अ0सं0 610/2013 (वाद संख्या – 178/2013) धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम शिव कुमार सिंह पुत्र जगमोहन सिंह निवासी ग्राम लोहरगांव कोत0 कालपी जनपद जालौन जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त शिव कुमार उपरोक्त को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुये 02 वर्ष सश्रम कारावास व 5,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।